

26.1
राजस्थान - सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 223/1956-57

प्रमाणित किया जाता है कि श्री भवानी निकेतन मैनेजिंग कमेटी, जयपुर वेस्ट का पंजीयन सोलाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत क्रमांक 223 पर दिनांक ग्यारह दिसम्बर सन् एक हजार नौ सौ छप्पन को किया गया था ।

अब इस संस्था का नाम परिवर्तित कर "श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति, जयपुर जिला जयपुर" कर दिया गया है । यह परिवर्तन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के प्रावधान के अन्तर्गत किया गया ।

यह परिवर्तन प्रमाण पत्र आज दिनांक पच्चीस माह अगस्त सन् एक हजार नौ सौ इक्यासी को जयपुर में जारी किया गया ।



[Signature]
११/८/५७
श्री. सी. भार्गव
रजिस्ट्रार संस्थान राजस्थान
जयपुर।